

भारतीयगैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY
THOUSAND RUPEES

RS. 20000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 814017

विक्रित सम्पत्ति विक्रेता/प्रथम पक्ष की पैतृक सम्पत्ति है।
पक्षकार भारत देश के मूल नागरिक है।
विक्रेता जाति से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं
है।
विक्रित सम्पत्ति के 200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत आवासीय गतिविधि
संचालित है।
विक्रेता प्रथम पक्ष के परिवार के पास विक्रय की गयी भूमि सहित समस्त
उत्तर प्रदेश में 18 एकड से अधिक भूमि नहीं है। व क्रेता द्वितीय पक्ष के
परिवार के पास क्रेय की गयी भूमि सहित समस्त उत्तर प्रदेश में 12,1/2
एकड से अधिक भूमि नहीं है।
विक्रित भूमि पट्टा ग्राम समाज, सीलिंग, भूदान, गर्वनेमेण्ट ग्राण्ट एक्ट के
अधीन दिये गये पट्टे की भूमि नहीं है।

Wife

[Signature]

सीलिंग-वीकेंस

[Signature]



भारतीयगैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY
THOUSAND RUPEES

RS. 20000



11 OCT 2013

A 814016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

हम कि विकास, गुलशन पुत्रगण श्री बिजेन्द्र सिंह व श्रीमती सुषमा पत्नी श्री बिजेन्द्र व कृष्ण कुमार पुत्र श्री जसवीर निवासीगण बेगमाबाद मेरठ हाल (वर्तमान) निवासी बेगम बाग मेरठ शहर प्रथम पक्ष / विक्रेता।

एवं

भैसास श्री विश्वकर्मा विल्डर्स, रजि0 ऑफिस 159, शास्त्री कालोनी निकट आर्यनगर, कंकरखेडा मेरठ पेन नम्बर ACFFS8952A द्वारा डायरेक्टर/पार्टनर्स श्री नीरज कुमार पुत्र श्री सुरेशपाल सिंह निवासी 535, ग्राम लच्छेडा तहसील व जिला मुजाफरनगर व श्री मनदीप लाम्बा पुत्र श्री परगजील लाम्बा निवासी 83, सिवायाजमाउल्लापुर परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठद्वितीय पक्ष / क्रेता।

W/S/S

सुजगान्नीयरी

11/10/13





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

इस लेख द्वारा प्रमाणित करते हैं कि प्रथम पक्ष विक्रेता निम्नलिखित सम्पत्ति का स्वामी कायिज और अधिकारी है। प्रथम पक्ष/विक्रेता व्यक्तिगत स्वामी व विक्रयाधिकारी है तथा जो आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार आदि से मुक्त है, प्रथम पक्ष/विक्रेता को मूल्य इस समय उचित मिल रहा है, जो इस वक्त के बाजारी मूल्य के बराबर है, इससे अधिक मूल्य मिलाने की कोई सम्भावना नहीं है, जिसके विक्रय करने में ही प्रथम पक्ष का पूरा पूरा लाभ व भलाई है। अतः प्रथम पक्ष ने उक्त सम्पत्ति को अपने सारे अधिकार स्वामित्व तथा अधिपत्य आदि सहित स्वयं इच्छानुसार स्थिर बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की अवस्था में अंकन 17,16,260/- सतरह लाख सोलह हजार दो सौ साठ रुपये में विक्रेता को विक्रय करवाया है। विक्रय मूल्य के साथ अटठावन हजार एक सौ तीस रुपये होते हैं। विक्रय मूल्य के हस्ताक्षर मे हस्ते मैसर्स श्री विश्वकर्मा बिल्डर्स, रजि० ऑफिस 159, शास्त्री कालोनी निकट आर्यनगर, कंकरखेडा मेरठ द्वारा ड्यूररेक्टर/पार्टनर्स श्री

Signature

Signature

शुभम चौरा

शुभम चौरा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AM 501995

नीरज कुमार पुत्र श्री सुरेशपाल सिंह निवासी 535, ग्राम लच्छेडा तहसील व जिला मुजफ्फरनगर व श्री मनदीप लाम्बा पुत्र श्री परमजीत लाम्बा निवासी 83, सिवायाजमाउल्लापुर परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ को विक्रय कर दी और पूर्णतया बेच दिया और विक्रय मूल्य विक्रेता / प्रथम पक्ष ने क्रेता / द्वितीय पक्ष से निम्नानुसार प्राप्त करके उक्त विक्रित सम्पत्ति को अपने शार ही अधिकार स्वामित्व तथा अधिपत्य आदि से निकालकर बिना छोड़े हुए कोई हक व हिस्सा चाहे उसका जिक इस दस्तावेज में किया गया हो अथवा न किया गया हो मौके पर द्वितीय पक्ष के अधिकार स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि में देकर द्वितीय पक्ष को ब्यक्तिगत स्वामी एवं पूर्णतया अधिकारी तथा अपनी ही भांति काबिज व अधिकारी बना दिया है। अब प्रथम पक्ष का कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का विक्रित सम्पत्ति व प्राप्ति रूपयो की बाबत द्वितीय पक्ष से शेष नहीं रहा है और न ही भविष्य में होगा। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ। द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह


[Signature]

[Signature]

सुषमा लाम्बा

21/01/2012





AM 501996

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सरकारी रिकार्ड में अपना नाम बहसियत मालिक दर्ज करा ले इसमें जहां तक भी प्रथम पक्ष के हस्ताधारो की आवश्यकता होगी तो उसमें प्रथम पक्ष को कोई उर्ज व एतराज नहीं होगा। आज से पूर्व के जो भी ड्यूज आदि होंगे, उनको अदा करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। यदि प्रथम पक्ष को किसी सम्बन्धी, सहभागी या उत्तराधिकारी के वादवश अथवा आज से पूर्व के किसी भी वैधानिक दोशवश उक्त विकित सम्मति अथवा उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष के अधिकार स्वामित्व तथा अधिपत्य आदि से निकल जाये, या कोई धन द्वितीय पक्ष को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये अदा करवाना पड जाये तो ऐसी प्रत्येक दशा में द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपना समस्त विकय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी भी दशा में हो, क्षति व खर्चा बैनामा मय एक रुपया प्रतिशत मासिक ब्याज व कानूनी न्यायालय द्वारा वाद सहित मय हर्जा व खर्चा व लागत निर्माण आदि व अदा किया हुआ धन जिस प्रकार उचित जाने, प्रथम पक्ष से उनके उत्तराधिकारियों से व

21/12/1971
[Signature]

सुप्रभा सिन्हा

[Signature]

Wulbas





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उनकी बल अचल सम्पत्ति से प्राप्त कर ले। इसने प्रथम पक्ष तथा उनके उत्तराधिकारियों को कोई आपत्ति नहीं होगी अतः यह विक्रय पत्र स्वयं इच्छानुसार स्थिर बुद्धि प्रसन्नचित विना किसी दबाव या बहकाव के लिखा दिया ताकि प्रमाण हो और समय पर काम आवे।

विवरण प्राप्ति विक्रय मुल्य:-

1. अंकन 71,510/- रुपये द्वारा बैंक नम्बर 208807 दिनांक 09.10.2013
बंजारिकर्ता पंजाब नैशनल बैंक मोदीपुरम मेरठ।
2. अंकन 71,510/- रुपये द्वारा बैंक नम्बर 208809 दिनांक 09.10.2013
जारिकर्ता पंजाब नैशनल बैंक मोदीपुरम मेरठ।
3. अंकन 71,510/- रुपये द्वारा बैंक नम्बर 208812 दिनांक 09.10.2013
जारिकर्ता पंजाब नैशनल बैंक मोदीपुरम मेरठ।

WSP

सधामा मोदीपुरम

सधामा मोदीपुरम

सधामा मोदीपुरम

सधामा मोदीपुरम





BS 480608

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4. अंकन 2,14,532 / - रुपये द्वारा चैक नम्बर 208805 दिनांक 09.10.2013
जारिकर्ता पंजाब नेशनल बैंक मोदीपुरम मेरठ ।
5. अंकन 2,14,533 / - रुपये द्वारा चैक नम्बर 208808 दिनांक 10.06.2014
जारिकर्ता पंजाब नेशनल बैंक मोदीपुरम मेरठ ।
6. अंकन 2,14,534 / - रुपये द्वारा चैक नम्बर 208810 दिनांक 10.06.2014
जारिकर्ता पंजाब नेशनल बैंक मोदीपुरम मेरठ ।
7. अंकन 2,14,533 / - रुपये द्वारा चैक नम्बर 208813 दिनांक 10.06.2014
जारिकर्ता पंजाब नेशनल बैंक मोदीपुरम मेरठ ।
8. अंकन 6,43,598 / - रुपये द्वारा चैक नम्बर 208806 दिनांक 30.04.2014
जारिकर्ता पंजाब नेशनल बैंक मोदीपुरम मेरठ ।

दिनांक: 10.10.2013 (दस अक्टूबर सन् दो हजार तेरह ई०) उत्तर प्रदेश
मसविदा: सुनील पाठक, वस्तावेज लेखक सरधना जिला मेरठ तावेज लेखक
सरधना (मेरठ)

सुनील पाठक
Wels
10
श्री अशोक
श्री अशोक
श्री अशोक
श्री अशोक
श्री अशोक

भारतीय नैर न्यायिक


एक सौ रुपये

RS. 100

ONE

HUNDRED RUPEES

रु. 100



सत्यमेव जयते


भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 480609

नक्शा नजरी



विक्रय की गयी भूमि की 200 मीटर की त्रिज्या में स्थित सम्पत्तियों का विवरण

1. नाम सड़क.....
2. आवासीय/वाणिज्यिक, गृह/गण/औद्योगिक.....
3. शैक्षिक/धार्मिक/स्वास्थ्य केन्द्र.....
4. औद्योगिक संस्थान/काल्ड स्टोरेज.....
5. गैस गोदाम/पेट्रोल पम्प/वस अड्डा.....
6. होटल रेस्टोरेन्ट/मनोरंजन केन्द्र.....
7. सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगमित कार्यालय.....
8. अन्य.....

घोषणा- किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है तथा गलत वर्णन अंकित नहीं किया गया है। उपरोक्त सूचना क्षेत्र की सामान्य जानकारी पर आधारित है।

हो विक्रेता

[Signature]



सपुत्रा-विक्रेता

[Signature]



हो खरीदार

श्री 20/4/21

[Signature]



11/10/2013
11/10/2013
11/10/2013
11/10/2013
11/10/2013
11/10/2013
11/10/2013
11/10/2013
11/10/2013
11/10/2013

11/10/2013 40
11/10/2013 5382
11/10/2013 254
11/10/2013 15550

गणेशदास गणेशदास के हस्ताक्षर

कृष्ण कुमार यादव
उप निवन्धक सरधना

11/10/2013

(1)

15550



र प्रदेश UTTAR PRADESH

A 01450

विक्रय विलेख

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

उपनिबन्धक कार्यालय :- सरधना जिला मेरठ।

1. भूमि का प्रकार (कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/अन्य) कृषि भूमि
2. सर्किल रेट सूचि के अनुसार प्रारूप-4 कर्मांक 142 है।
3. सर्किल रेट सूचि के अनुसार निर्धारित सर्किल रेट 1,20,00,000/- रुपये प्रति हैक्टेयर।
4. प्रतिफल की धनराशि अंकन: 17,16,260/- रुपये।
5. सर्किल रेट के अनुसार कीमत अंकन: 4,92,000/- रुपये।
6. स्थित ग्राम सिवायाजमाउल्लापुर परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ।





सुनिता चौधरी



12/12/2014











भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 20000

बीस हजार रुपये

TWENTY
THOUSAND RUPEES

RS. 20000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 814

7. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर) : खसरा नम्बर 1317
8. मापन की ईकाई (वर्गमीटर / हेक्टेयर) : हेक्टेयर
9. विक्रित सम्पत्ति का क्षेत्रफल 0.0410 हेक्टेयर ।
10. सडक की स्थिति परिशिष्ट के अनुसार लागू नहीं है।
11. सम्पत्ति की अवस्थिति: अर्द्धनगरीय क्षेत्र है।
12. राष्ट्रीय, जनपदीय अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है।
13. पेड़ों का मूल्यांकन: लागू नहीं है।
14. बोरिंग, नलकूप विक्रित भूमि में नहीं है।
15. सहकारी आवास समिति के राजस्व से सम्बन्धित नहीं है।
16. क्रेता की कय की गयी भूमि खसरा नम्बर 1317 क्रेता द्वारा कय किये गये खसरा नम्बर 1318 से गेठ मिलान है जो क्रेता ने द्वारा बेनामा दस्तावेज नम्बर 15549 आज ही कय किया है।



सख्ताना चौधरी

13/11/11







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17. अधिसूचना आदेश संख्या
सं०वि०क०नि०-5-2756 / 11-2008-500(165) / 2007 लखनऊ दिनांक
30.06.2008 ई० के अनुसार 7 प्रतिशत की दर से देय स्टाम्प अंकन
1,20,200 / - रुपये।

विवरण विक्रित भूमि:

भूमिधारी भूमि खाता संख्या 00334 के खसरा नम्बर 1317 रकबई 0.0410
हैक्टयर (शून्य दशमलव शून्य चार एक शून्य हैक्टयर) लगान 1.00 रुपये
सालाना स्थित ग्राम सिवायाजमाउल्लापुर परगना दौराला तहसील सरधना
जिला मेरठ।

विक्रेता / प्रथम पक्ष दृष्टिहीन / विकलांग व्यक्ति नहीं है।

Wjle

[Signature]

सुभाषिता-सिन्हा

[Signature]

अनुपम

[Signature]

